सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 135/2015

बउनवान

घासीलाल पुत्र लक्ष्मण उम्र 65 जाति काछी निवासी निपानिया तहसील छबड़ा

(अपीलांट)

बनाम

1. रतनी पत्नि कमलसिंह उर्फ कोमलसिंह उम्र 45 जाति काछी निवासी महूगढ़ा तहसील राघोगढ़ जिला गुना म.प्र.
2. ललता पुत्री कमलसिंह उर्फ कोमलसिंह उम्र 19 जाति काछी निवासी महूगढ़ा तहसील राघोगढ़ जिला गुना म.प्र.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद **(रेस्पोडेन्ट)**

अपील विरूद्व इंतकाल नम्बर 1728 दिनांक 09.06.2015 न्यायालय तहसीलदार छबड़ा

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 31.01.2018

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 656 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा ग्राम निपानिया तहसील छबड़ा में अपीलान्ट के भाई छीतरलाल पुत्र लक्ष्मण की खातेदारी में दर्ज थी। छीतरलाल का देहान्त दिनांक 28.02.1999 को हो चुका है। उसकी मृत्युपरान्त अपीलाण्ट मृतक छीतरलाल का भाई ही एकमात्र वारिस व कायम मुकाम है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09.06.2015 को फोती इन्तकाल की कार्यवाही के दौरान ग्राम निपानिया के मोतबिरान की शहादत लिये बिना ही रेस्पो. क्रम 1 व 2 को मृतक छीतरलाल का वारिस मानकर फौती इन्तकाल क्रमांक 1728 से खातेदारी में नाम अंकित कर कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट ने दिनांक 24.06.2015 को माननीय एस.डी.ओ. साहब को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि रेस्पोडेन्ट के हक में इन्तकाल नहीं खोले जिस पर एस.डी.ओ. साहब ने तहसीलदार साहब छबड़ा के नाम आदेश किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बेक डेट में दिनांक 09.06.2015 को इन्तकाल रेस्पो. के हक में खोल दिया जो गैरकानूनी व अवैद्य होने से निरस्तनीय है। मृतक छीतरलाल की शादी 40 वर्ष पूर्व रेस्पोडेन्ट रतनीबाई से हुई थी तब रतनीबाई की आयु 8 वर्ष थी, शादी के 7 साल बाद गौणा देने से यह कहकर मना कर दिया था कि छीतर पागल है, एक वर्ष बाद रतनीबाई के घर वालों ने कोमलसिंह उर्फ कमलसिंह निवासी महूगढ़ा के यहां रतनीबाई का नाता विवाह कर दिया तथा कोमलसिंह के नुत्फे से रतनीबाई के रेस्पो. ललताबाई पैदा हुई, रतनीबाई एक दिन भी छीतरलाल के पास बहैसियत पत्नि नहीं रही। ललताबाई छीतरलाल की औलाद नहीं है उक्त तथ्यों के बाबत अधीनस्थ

न्यायालय ने कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं ली एवं कोई रिकार्डेड साक्ष्य प्राप्त नहीं किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया उक्त इन्तकाल गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के भाई छीतरलाल के जीवनकाल में कोमलसिंह द्वारा रतनी को नाते ले जाने पर दिनांक 19.10.1985 को नोटिस दिया था जिससे प्रमाणित है कि रतनी को नाते गये 30 वर्ष हो गये हैं एवं ललता की उम्र 19 वर्ष होने से वह कोमल क सन्तान है। अतः नामान्तरकरण संख्या 1728 दिनांक 09.06.2015 न्यायालय तहसीलदार छबड़ा बहक रेस्पो. खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 13.07.2015 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 को जर्ये अखबार साया तलब किये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पो. क्रम 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली में संलग्न छायाप्रतियां मृत्यु प्रमाण पत्र छीतरलाल, मतदाता सूची, परिवार पत्र एवं नोटिस दिनांक 19.10.1985 का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के भाई के जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के अन्यत्र नाते चले जाने से मृतक छीतरलाल की आराजीयात पर उसके हक हकूक समाप्त हो गये तथा रेस्पो. क्रम 2 भी रेस्पो. क्रम 1 एवं उसके नातापति की सन्तान होने से वह भी मृतक छीतरलाल की वारिस नहीं है। अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1728 दिनांक 09.06.2015 न्यायालय तहसीलदार छबड़ा खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांटगण ने कोई भी साक्ष्य ऐसा पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाण्ति हो सके कि रतनीबाई मृतक छीतरलाल के जीवनकाल में ही अन्यत्र नाते चली गई हो। मतदाता सूची की छायाप्रति से यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस वर्ष की मतदाता सूची है। परिवार पत्र भी वर्तमान समय का प्रतीत होता है। नोटिस दिनांक 19.10.1985 की छायाप्रति पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नातापति कोमलसिंह उर्फ कमलसिंह के प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं होने से निरर्थक है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न छायाप्रतियां मतदाता सूची, परिवार पत्र एवं नोटिस दिनांक 19.10.1985 के सम्बन्ध में पेरोकार सरकार के कथन से हम पूर्णतया सहमत हैं। इन दस्तावेजात से यह प्रमाणित नहीं है कि रतनीबाई मृतक छीतरलाल के जीवनकाल में नाते गयी। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)